(वाद संख्या–4426/2017)

16.09.2021

परिवादी, कमला देवी, पत्नी स्व0 जवाहर महतो ग्राम+पोस्ट–माधोपुर, थाना–मनेर, जिला–पटना अपने एक पुत्र राम मनोहर प्रसाद वर्मा के साथ उपस्थित है।

परिवादी तथा उसके पुत्र को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी व उसके स्वर्गीय पति को करीब 18 माह से वृद्धा पेंशन की राशि नहीं मिलने, जिस कारण दवा के अभाव में उसके पति की मृत्यु होने, गरीबी रेखा के नीचे शामिल परिवार में होते हुए भी पति के मृत्यु उपरांत कबीर अंत्येष्ठि योजना का लाभ नहीं देने तथा प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों व मुखिया द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

तत्पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा जिला पदाधिकारी को संबोधित एक पत्र की प्रति राज्य आयोग को उपलब्ध करायी गयी। उक्त पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत, माधोपुर के पंचायत सचिव, श्री अजय कुमार से उक्त ग्राम पंचायत के 192 फर्जी पेंशनधारी लोगों को पेंशन का वितरण किये जाने की 271600.00 रुपये प्रखण्ड में जमा करने का निर्देश दिया गया तथा उपरोक्त दोषी पंचायत सचिव के विरूद्ध प्रपत्र 'क' का गठन कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। बाद में जिला पदाधिकारी, पटना के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ई–लाभार्थी पोर्टल पर परिवादी को पेंशन का भुगतान कर दिया गया है साथ ही साथ पंचायत सचिव द्वारा परिवादी को कबीर अंत्येष्ठि राशि का भी भुगतान उसके खाता में कर दिया गया है। उपरोक्त पत्र के साथ परिवादी के एक आवेदन की प्रति भी उपलब्ध करायी गयी है जिसमें पेंशन का भुगतान होने व कबीर अंत्येष्ठि राशि मिल जाने के कारण परिवाद पत्र को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

पुनः परिवादी की ओर से राज्य आयोग को एक आवेदन दिया गया कि उसे उपरोक्त राशि प्राप्त नहीं हुयी है तथा उसकी ओर से दोषी पंचायत सचिव, मुखिया एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनेर से पांच लाख रूपये मुआवजा दिलाये जाने का भी अनुरोध किया गया।

जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक द्वारा राज्य आयोग को प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी कमला देवी का नाम PMAY-G के प्रतीक्षा सूचि में नहीं रहने के कारण उसके पुत्र अनिल वर्मा को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ वर्ष 2019–20 में दिया जा चुका है साथ ही साथ परिवादी के फरवरी 2016 से दिसंबर 2018 तक के 35 माह के बकाया पेंशन की राशि का भुगतान करने हेतु सहायक निदेशक, जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना द्वारा वरीय प्रशासी पदाधिकारी सक्षम, पटना को पत्र भी निर्गत किया जा चुका है।

आज राज्य आयोग के समक्ष परिवादी व उसके पुत्र यह स्वीकार करते है कि उसे वर्ष 2019 से अद्यतन पेंशन प्राप्त हो रहा है तथा कबीर अंत्येष्ठि की राशि भी उसे प्राप्त हो चुकी है। वे यह भी स्वीकार करते है कि परिवादी के तीन पुत्रों में से एक पुत्र को इन्दिरा आवास योजना का लाभ दिया जा चुका है। परिवादी द्वारा बकाया वृद्धा पेंशन का भुगतान करवाने व अपने शेष दो पुत्रों को भी इन्दिरा आवास योजना का लाभ दिलवाये जाने का राज्य आयोग से अनुरोध किया जा रहा है।

अब, जबकि परिवादी को अद्यतन वृद्धा पेंशन का भुगतान हो रहा है तथा कबीर अंत्येष्ठि राशि का भी भुगतान हो चुका है व बकाया वृद्धा पेंशन के संबंध में संबंधित प्राधिकार द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

सहायक निदेशक, जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग के पत्र (पृ0–93/प0) की प्रति संलग्न कर उनसे यह अनुरोध किया जाय कि परिवादी के फरवरी 2016 से दिसंबर 2018 तक के कुल 35 माह के बकाया पेंशन की राशि का परिवादी को यथाशीघ्र भुगतान कराया जाना सुनिश्चत करें तथा उक्त पत्र की एक प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी सक्षम, पटना को भी भेजी जाय।

आज पारित आदेश के साथ सहायक निदेशक, जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग के पत्र (पृ0–93/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को भी उपलब्ध करा दी जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

निबंधक